वर्ष ; उप सचिव तथा समकक्ष स्तर के लिए चार वर्ष तथा निदेशक/संयुक्त सचिव तथा समकक्ष स्तर के लिए पांच वर्ष है। जहाँ तक केन्द्रीय स्टाफिंग योजना से भिन्न अन्य किस्म की प्रतिनियुक्ति का संबंध है, कतिपय ऐसे पदों को छोड़कर जहां भर्ती नियमों में दीर्घकालिक समयावधि निर्धारित हो, सभी मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष है ।

(ख) जी, हां। प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है ।

Promotion Policy of ITDC

*655. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what are the essential qualities|merits a person is supposed to have to get promotion in ITDC

(b) what are the essentials of a sound promotion policy and how far ITDC promotion policy qualifies for the same;

(c) whether promotions are granted in ITDC by seniority or on merits;

(d) the names, designations, level of education of the supervisory and above level pesons who got promotions based on seniority and on their respective and specific merits, during the last three years, annually, till March, 1994;

(e) the names, designations, scales of pay, level of education of the employees in supervisory and above levels of ITDC who could not be promoted/upgraded during the last three years, till February, 1994, either on their seniority or on the basis of the merits with reasons and justification in each case; and

(f) the names, designations, level of education of such persons who have been kept as Consultant after retirement in ITDC, as on date, with reasons and justification in each case and is the said appointment in violative of Government instruction?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) The guiding principle of promotion policy of ITDC is to ensure the suitability of the candidate for promotion in an objective and impartial manner.

In accordance with the "India Tourism Development Corporation Ltd. Recruitment, Promotion and Seniority Rules, 1982 83," the promotions are made according to two streams:—

(i) For non-selection posts:—For non-selection posts, promotion is on the basis of seniority subject to rejection on being unfit. An employee will be considered as unfit if his overall grading in any of his confidential reports for the relevant period is |unsatisfactory|fair|poor.

(ii) For promotion to selection posts, merit and the requisite length of service in the particular grade are the prime factors for consideration, along with seniority, integrity and qualifications.

(d) During the last 3 years (i.e. upto 31-3-94) 31 officials (Annexure I) [See Appendix 170, Annexure No 137] have been promoted on the basis of seniority subject to rejection of unfits and 224 officials (Annexure II) (See Appendix 170, Annexure no 137) have been promoted from supervisory cadre to lowest executive cadre and other executive cadres through the selection procedure.

(e) During the last 3 years (i.e. upto 31-3-94) out of the officials who were considered for promotion to non selection posts on the basis of seniority subject to rejection of unfits, only 5 officials (Annexure III) (See Ap-

pendix 170, Annexure No. 137] were not promoted. In so far as selection posts are concerned, all candidates who fall in the zone of consideration are considered by the Selection Committee, and a list is drawn, for as many canddates only as the number of posts. Therefore, the question of not promoting the other candidates does not arise as such.

(f) The requisite information is attached at Annexure IV. (See Appendix 1709 Annexure No. 137]

गुजरात में भूमि का मरूभूमि बनते जाना

*656. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि गुजरात का बहुत बड़ा भूभाग प्रत्येक वर्ष मरूक्षेत्र में बदल जाता हैं :

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष अनुमानतः कुल कितना क्षेत्र, विशेष रूप से कच्छ सौराष्ट्र में, मरूक्षेत्र में बदल जाता है ।

(ग) उसके क्या प्रमुख कारण हैं ;

(घ) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) गुजरात में मरूभूमि के प्रसार की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में हरियाणा में हिसार एवं महेन्द्रगढ़ तक आधारभूत सच्चाई के साथ-साथ हवाई छायाचित्रों, लैंडसैट एवं आई० आर०एस० (भारतीय दूरग्राही) चित्रों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (कजरी), जोधपुर द्वारा कराये गए एकीकृत अध्ययनों के निष्कर्षों ने स्थापित किया है कि गुजरात सहित देश में मरूभूमि के फैलाव का कोई प्रमाण नहीं है । तथापि, जब गतिविधियों जैसे सीमान्त भूमि पर खेती करना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, पेड़ों की कटाई तथा लंबे समय तक चलने वाले सूखेंतथा यदा-कदा आने वाली अभूत-पूर्व बाढ़ की वजह से कुछ क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया देखी गई है । दूसरी ओर मरुभूमि एक पारिस्थितिकीय प्रणाली है जो अत्यधिक तापमान, कम वर्षा, कम आद्रता, तेज हवाओं, बार-बार आने वाली आंधियों और सूख द्वारा प्रदर्शित होता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार को मरूस्थलीकरण की समस्या की जानकारी है जो पारिस्थितिकीय प्रणाली की उत्पादकता में ह्रास के लिए जिम्मेदार रही है । मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपायों की माफत इन क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु 1977–78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरु किया गया था और यह कार्यक्रम अब गुजरात के बनासकांठा और मेहसाना जिलों के 9 खण्डों, हरियाणा के भिवानी, हिसार, रोहतक एवं सिरसा जिलों के 26 खण्डों राजस्थान में बाड़मेर बीकानेर, चुरु, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनु, जोधपुर, नागौर, पाली तथा सीकर जिलों के 84 खण्डों के गम शुष्क क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है । कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जिसमें दीर्घकाल में क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना भी शामिल है, का संरक्षण करना, उनका विकास करना तथा उनको सुरक्षित रखना है ।

Securing of power projects by BHEL

*657. **SHRI RAMNATH KOVIND:** Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are 146 Power Projects totalling 66,000